GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, July 10, 2024

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(2)FD/Tax/2023-25 dated 10.02.2023, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the following instruments shall be reduced and charged as under:-

S. No.	Description of the Instrument	Stamp Duty Payable at the rate of Conveyance
1	2	3
1.	Every intermediary unregistered and understamped instrument executed in respect of any land with or without construction before getting the lease deed from the State Government, Urban Local Bodies, Public Enterprises or any other Government Bodies.	On 20% of the market value of the land prevailing on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to the Collector (Stamps), as the case may be.
2.	Every intermediary unregistered and understamped instrument executed in respect of any land with or without construction, before sale deed or gift deed is registered in respect of that land under the Registration Act, 1908.	On 20% of the market value of the land prevailing on the date of presentation before the Sub-Registrar or on the date of reference to the Collector (Stamps), as the case may be.

Note:
1. While issuing lease deed, the State Government or authority concerned shall issue a certificate mentioning the number of intermediary unregistered and understamped instruments executed in respect of the immovable property along with date of their execution and shall also provide the copies of such intermediary instruments;
2. The lease holder, purchaser or donee along with his lease deed, sale deed or gift deed, as the case may be, shall submit such certificate and/or copies of unregistered and understamped instruments, before the Registering Officer;
3. The Sub-Registrar shall not register such lease deed, sale deed or gift deed, as the case may be, unless the certificate and/or the copies of the intermediary instruments specified in Note 1 or 2, as the case may be, have been presented before him and the stamp duty and surcharge payable on such intermediary instruments have been recovered; and
4. The above rates shall also be applicable on instruments executed or pending for registration or reference before the Sub-Registrar or for adjudication of stamp duty before the Collector (Stamps) or Rajasthan Tax Board or any other Court but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No.F. 4(2)FD/Tax/2024-77]
By order of the Governor,

(Jaswant Singh)
Joint Secretary to the Government.

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, जुलाई 10, 2024

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(2)वित्त/कर/2023-25 दिनांक 10.02.2023 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि निम्नलिखित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नानुसार प्रभारित किया जायेगा:-

क्र. सं.	लिखत का विवरण	हस्तान्तरण-पत्र की दर से संदेय स्टाम्प शुल्क
1	2	3
1.	राज्य सरकार, नगरीय स्थानीय निकायों, लोक उपक्रमों या किन्हीं अन्य सरकारी निकायों से पट्टा विलेख प्राप्त करने से पूर्व संनिर्माण के साथ या बिना किसी भूमि के संबंध में निष्पादित प्रत्येक मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखत।	उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण की तारीख पर या, यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख पर भूमि के विद्यमान बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत पर।
2.	संनिर्माण के साथ या बिना किसी भूमि के संबंध में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन उस भूमि का विक्रय विलेख या दान विलेख रजिस्ट्रीकृत किये जाने से पूर्व निष्पादित प्रत्येक मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखत।	उप-पंजीयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण की तारीख पर या, यथास्थिति, कलक्टर (स्टाम्प) को निर्देश की तारीख पर भूमि के विद्यमान बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत पर।

टिप्पण: 1. पट्टा विलेख जारी करते समय राज्य सरकार या संबंधित प्राधिकारी ऐसी स्थावर संपत्ति के संबंध में निष्पादित मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखतों के निष्पादन की तारीख सहित उनकी संख्या वर्णित करते हुए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसी मध्यवर्ती लिखतों की प्रतियां भी उपलब्ध करवायेगा;

2. पट्टाधारक, क्रेता या आदाता उसके पट्टा विलेख, विक्रय विलेख या, यथास्थिति, दान विलेख के साथ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष ऐसे प्रमाणपत्र और/या अरजिस्ट्रीकृत तथा असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखतों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा;

3. उप-पंजीयक, ऐसा पट्टा विलेख, विक्रय विलेख या, यथास्थिति, दान विलेख तब तक रजिस्टर नहीं करेगा जब तक कि टिप्पण 1 या, यथास्थिति, 2 में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र और/या मध्यवर्ती लिखतों की प्रतियां उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दी गयी हैं और ऐसी

मध्यवर्ती लिखतों पर संदेय स्टाम्प शुल्क और अधिभार वसूल नहीं कर लिया गया है; और

4. उपर्युक्त दरें निष्पादित लिखतों पर या रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए उप-रजिस्ट्रार के समक्ष या स्टाम्प शुल्क के न्यायनिर्णयन के लिए कलक्टर (स्टाम्प) या राजस्थान कर बोर्ड या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लंबित लिखतों पर भी लागू होंगी किन्तु पहले से ही संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.4(2)वित्त/कर/2024-77]

राज्यपाल के आदेश से,

(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव